



७१

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

PBR/भिगरानी/भ्रीपाल/भ्रा.रा/2018/0114 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक...../2017

सुरेन्द्र सिंह धाकड़ आत्मज श्री धर्मसिंह धाकड़,
आयु-वयस्क, निवासी-फ्लेट क्रमांक-10,
प्लाट नं.61, सेक्टर-1, शक्ति नगर,
भोपाल (म.प्र.)

लाइन छापी
26/12/2011
प्राप्त
26/12/2011

विरुद्ध

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

अभिभावक द्वारा अप्रैल 2011 को पेश।

1. दिलीप सिंह आत्मज स्व.श्री मथुराप्रसाद,
आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम-गढ़मुर्ता,
तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) अनावेदक/उत्तरदातागण
2. धनसिंह आत्मज स्व.श्री मथुराप्रसाद,
आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम-गढ़मुर्ता,
तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) अनावेदक/उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) के समक्ष नामांतरण प्रकरण क्रमांक-12/अ-6/2009-10 का प्रस्तुत किया था, जिसका अवलोकन करने में श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दस्तावेजों एवं विकल्प अनुमति का अवलोकन करते हुए गंभीर त्रुटि कर आलोच्यपूर्ण आदेश दिनांक 04/05/2010 को पारित किया है, जिसके विरुद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) के समक्ष राजस्व प्रथम अपील क्रमांक-26/अप्रैल/2009-10 की प्रस्तुत की थी, जिसका अवलोकन करने में श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) द्वारा दिनांक 29/12/2011 को आलोच्यपूर्ण आदेश पारित किया था, जिसके विरुद्ध राजस्व द्वितीय अपील श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल (म.प्र.) के समक्ष आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की थी, जिसे द्वितीय राजस्व अपील क्रमांक-31/अप्रैल/2012-13 के रूप में पंजीबद्ध किया है, जिसका निराकरण भी श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल (म.प्र.) के द्वारा सरसरी तौर पर करते हुए दिनांक 20/02/2017 को आलोच्यपूर्ण आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता को नवंबर 2017 को ज्ञात हुई, जिससे दुःखित होकर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निम्नलिखित तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है:-

Dilip

Om

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपल/भू.रा./2018/114

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3- 2018	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20-2-2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26-12-2017 को लगभग 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि आवेदक को विलम्ब माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का कारण स्पष्ट करना चाहिए था। अतः यह निगरानी प्रथम व्यष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> 	